


आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम-126)

आदेश-पत्रक-ता0.....से.....तक.....

जिला गढ़वा.....विषय वाद सं0 03.....सन 2020-21।

केस का प्रकार - Updation (अद्यतन) के संबंध में।

| आदेश की क्रम सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित। |
|---------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 16.06.2020 | <p>आवेदक रोज मोहम्मद मियां एवं रेयाजुदीन मियां उर्फ रेयाज अहमद मियां, पिता दिलजान मियां, तथा दिलजान मियां, पिता जुमर मियां, ग्राम खाला के द्वारा आवेदन दिया गया है कि Title Suit नं० 22/2009 में Civil Judge Junior Devision II गढ़वा के न्यायालय में निम्नांकित भूमि मौजा हाल सर्वे का खाता संख्या 137 प्लॉट संख्या 2167 रकबा 0.59 एकड़ का इनके पक्ष में आदेश पारित हुआ है। उक्त आदेश के आलोक में इन्होंने विपक्षी दिलजान मियां, पिता उल्फत मियां, ग्राम खाला का नाम पंजी II से हटाकर अपने नाम पर मांग कायम करने हेतु आवेदन दिया है। राजस्व उप निरीक्षक से अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। एक आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी धुरकी। </p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि Civil Judge Junior Devision II गढ़वा के न्यायालय में Title Suit नं० 22/2009 रोज मोहम्मद मियां एवं रेयाजुदीन मियां उर्फ रेयाज अहमद मियां विपक्षी दिलजान मियां ग्राम खाला के बीच चला। Civil Judge Junior Devision II गढ़वा के द्वारा आवेदक रोज मोहम्मद मियां एवं रेयाजुदीन मियां उर्फ रेयाज अहमद मियां के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। हाल सर्वे में उक्त भूमि का खतियान दिलजान मियां, पिता उल्फत मियां के नाम पर बना है एवं खतियान के आधार पर पंजी II में भी इन्हीं का नाम दर्ज है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने न्यायालय के फ़ैसले के आलोक में पंजी II में दर्ज दिलजान मियां का नाम हटाकर रोज मो० मियां, रेयाजुदीन मियां उर्फ रेयाज अहमद मियां, पिता दिलजान मियां तथा दिलजान मिया, पिता जुमर मियां का नाम दर्ज करने का</p> | |